



राज्य कर विभाग, मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून,
नत्थनपुर, निकट पुलिया न०-6
मसूरी बाईपास रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून।

पत्रांक: 4232/राज्य आयु०क०उत्तरा०/राज्य कर/ई-प्रोक्वोरमेंट/सम्पत्ति-अनुभाग/2022-23/दे०दून/दिनांक 13 अक्टूबर 2022

"शुद्धि पत्र"

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित ई-निविदा संख्या 4083 एवं 4084 दिनांक 01.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में जी०एस०टी० के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना हेतु IRDA के अन्तर्गत पंजीकृत बीमा कम्पनियों से ई-निविदाएं आमन्त्रित की गयी थी। उक्त निविदा प्रपत्र में जहां-जहां बीमित धनराशि रू० 5 लाख उल्लिखित है वहां उक्त धनराशि को रू० 10 लाख पढ़ा जाए।

शेष अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड